क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

279
अक्तूबर
2002

नीति

अनुपयोज्य परिसंपत्ति खातों की स्थिति को बिगड़ने से रोकना

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के निदेशानुसार, रिज़र्व बैंक ने बैंकों के आंतरिक दल से प्राप्त संबंधित जानकारी/आंकड़ों की बारीकी से जांच करके एक अध्ययन किया। रिज़र्व बैंक ने बैंकों के ऐसे पदाधिकारियों से, जो नीति संबंधी स्तर पर अनुपयोज्य परिसंपत्तियों के खातों की व्यवस्था करते हो तथा जो खातों के संबंध में कार्यान्वयन स्तर पर वास्तविक वसूली, पुनर्व्यवस्था, पुनर्विनियोजन का कार्य देखते हैं, के साथ भी विचार-विमर्श किये। अध्ययन के आधार पर अनुपयोज्य परिसंपत्ति खाते की (एनपीए) बिगड़ती स्थिति को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक ने सिफारिशों की रूपरेखा बनाने का सुझाव दिया था। उन सिफारिशों को अभिमत और प्रतिसूचना के लिए बैंकों के बीच परिचालित किया गया था। एनपीए की बिगड़ती स्थिति की समस्या से निपटने से लिए अंतिम सिफारिशें बैंकों को इस सूचना के साथ भेजी गयी थीं कि वे इसे अपने निदेशक मंडल की अगली बैठक में रखें तथा इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तैयार करें।

दिशानिर्देश

संकेत

समस्या को समय रहते पहचानना - हमेशा ऐसा होता है कि, जब तक बैंक पुन:प्रवर्तन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का प्रयास करें, परियोजना के पुन:स्थापन तथा बैंक की देय राशियों की वसूली, दोनों ही के संबंध में स्थिति पर काबू पाना कठिन हो जाता है। शुरुआती दौर में कमजोरियों (अर्थात, जब खाते में कमजोरी का पहला लक्षण दिखे, चाहे वह एनपीए न बना हो) की पहचान करना अनिवार्य है। पुन:स्थापना की संभाव्यता का मूल्यांकन तकनीकी आर्थिक लाभप्रद अध्ययन के आधार पर किया जाए। लाभप्रदता और प्रवर्तक की मंशा (और उनका दावा) के बाद पुनर्विन्यास का प्रयास वहां किया जाए जहां बैंकों को इस बात का विश्वास हो कि वे उसे नियत समय सीमा में यथास्थिति कर लेंगे। बैंक/सहायता संघ द्वारा यथानिर्णीत पूर्व रूप से महत्त्वहीन इकाइयों के संबंध में, यह अच्छा रहेगा कि इकाई को शीघ्र समाप्त कर दिया जाए/बेच दिया जाए ताकि इससे पहले कि स्थिति बहुत बिगड़ जाए, कानूनी तौर पर कुछ भी वसूली जो संभव हो, हो जाए।

नये अध्यादेश की सहायता लेना - भारत सरकार ने 21 जून 2002 को वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्व्यवस्था तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अध्यादेश, 2002 नामक अध्यादेश जारी किया ताकि वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रतिबंधित किया जा सके। बैंक/सहायता संघ द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार पूर्ण रूप से महत्त्वहीन इकाइयों के संबंध में इस अध्यादेश के तहत बिना समय गवाएं कार्रवाई की जाए। जहां बैंकों को प्रवर्तकों/उधारकर्ताओं की ओर से धांधली का सामना करना पड़ता है वहां वे इस कानूनी उपाय को करने के लिए जोरदार ढंग से तत्काल लागू करें।

शीघ्र सतर्कता प्रणाली : इसके अंतर्गत एनपीए की व्यवस्था करने की रणनीति को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले से संबंधित परिस्थितियों से नियंत्रित किया जाए। सामान्यत:, यदि कंपनी परिचालन में हो तो वसूली के संबंध में एनपीए होने की संभावना अधिक होती है। इसे प्रभावी बनाने के लिए शुरुआती दौर में कमजोरी को पहचानने की प्रणाली का होना जरूरी है। बैंकों को चाहिए कि वे ऐसी शीघ्र सतर्कता प्रणाली लागू करें जो कमज़ोरी के पहले लक्षण दर्शाने वाले खातों के संबंध में शीघ्र चेतावनी सिग्नल ले लेते हैं। यह प्रणाली बैंक की जोखिम प्रबंधन पद्धति का समन्वित भाग होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी इसी प्रकार की विशेष उल्लेख खाता प्रणाली है। पहचानी गयी कमज़ोरियों के आधार पर, कोई व्यक्ति पुनर्व्यवस्था को निर्धारित करते समय पूर्ववर्ती अथवा पहले की अवधि (चालू अवधि के संदर्भ के बजाए) ले जा सकता है।

आंतरिक निगरानी प्रयोजन के लिए, शीघ्र सतर्कता प्रणाली के तहत, खाते के एनपीए होने से काफी पहले बैंक व्यवहार्य हस्तक्षेप के लिए नया निर्धारण करने के लिए अतिदेय खातों हेतु समय-सीमा निर्धारित करें। इससे बैंक को इस बात का मूल्यांकन करने ये सुविधा होगी कि चूक किसी पहले से चली आ रही कमजोरी के कारण हैं अथवा अस्थायी चलनिधि अथवा नकदी प्रवाह की समस्या के कारण हैं और तदनुसार, इसकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगाएं। उदाहरणार्थ, जहां किसी खाते में 30 दिन तक चूक रहती है तो उसे विशेष श्रेणी में अंतरित कर दिया जाए। ऐसे खातों में से, जो संभावनाएं दिखाते हैं उन्हें विशिष्ट प्रयोजनों के लिए वर्धित सुविधा प्रदान करने के लिये विचार किया जाये, और इसके लिए जहां तक संभव हों, धन का जितना अधिक कड़ा संभव हो सके, अंतिम उपयोग सुनिश्चित किया जाये। असंतोषजनक तत्त्व/शीघ्र चेतावनी सिग्नल देनेवाले सभी खातों को उनकी स्थिति के बिगड़ने से रोकने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई तथा समयबद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि खाते नियमित हों उन्हें निम्नलिखित मामलों में संभाव्य एनपीए सूची में रखा जाए:

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
अनुपयोज्य परिसंपत्ति खातों की स्थिति को बिगड़ने से रोकना	1
जोखिम आधारित पर्यवेक्षण	3
शाखा बैंकिंग	
प्लघु उद्योग संबंधी ऋण आवेदनों पर कार्रवाई के लिए समय अनुसूची	3
विदेशी बैंक शाखाएं बंद करना	4
सहकारी बैंक	
शहरी सहकारी बैंक मुद्रा हस्तांतरण सेवा योजनाओं में एजेंट के रूप में काम नहीं करेंगे	4
विदेशी मुद्रा नियंत्रण	
एफसीएनआर (बी) जमाराशियां	4
आयातों के लिए अल्पावधि ऋण	4
रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर	4

- स्टॉक/वित्तीय/अन्य नियंत्रण विवरणियों के प्रस्तुतीकरण में विलंब
- उधारकर्ताओं द्वारा जारी चेकों की वापसी
- डीपीजी की किस्तों के संबंध में प्रगति और उचित समयावधि के भीतर उनकी गैर-अदायगी होना
- साख-पत्र का बार-बार अंतरण और उचित समयावधि के भीतर उसकी गैर-पुनर्अदायगी
- बार-बार बैंक गारंटियों का लगाना और उचित समयावधि के भीतर उनकी गैर-अदायगी
- भुनाये गये बिलों/चेकों का वापिस आना
- भुनाये गये अथवा वसूली के अधीन बिलों की गैर-अदायगी
- बिक्री तथा लाभ की कमी, नकद हानि, शुद्ध हानि, शुद्ध मूल्य आदि में ह्रास के मद्देनज़र खराब वित्तीय कार्य निष्पादन आदि
- सृजन/प्रभार के पंजीकरण/बंधक आदि के मद्देनज़र अपूर्ण प्रलेखीकरण
- मंजूरी की शर्तों का अनुपालन न होना।

विशेष उल्लिखित खाते: यह सुझाव है कि बैंक अपनी आंतरिक निगरानी और उसकी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मानक और अवमानक के बीच एक नई परिसंपत्ति श्रेणी प्रारंभ करें। यह परिसंपत्ति श्रेणी, स्थानीय अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एफडीआईसी, यूएसए, एमएएस, सिंगापुर आदि में प्रयुक्त विशेष उल्लिखित परिसंपत्ति की अंतर्राष्ट्रीय परंपरा की लीक पर हो। रुग्णता/अनियमितता के लक्षण सामने आते ही किसी परिसंपत्ति को इस श्रेणी में अंतरित किया जा सकता है। इससे बैंकों को संभाव्य समस्याओं वाले खातों की, समस्या के प्रारंभ होते ही केंद्रित रूप में निगरानी करने में सहायता मिलेगी ताकि निगरानी और निवारक कार्रवाई अधिक प्रभावशाली हो सके। एक बार इन खातों को श्रेणीबद्ध करके इस प्रकार उन्हें सूचित कर दिया जाए तो उच्च प्रबंध तंत्र का उस ओर ध्यान आकृष्ट होना सुनिश्चित हो जायेगा। अप्रत्यक्ष सूचना प्रणाली के तहत (i) दो तिमाहियों से कम अवधि के अतिदेय ऋणों और अग्रिमों (ii) एक तिमाही से कम अवधि के अतिदेय ऋणों और अग्रिमों जैसी अतिदेय स्थिति के मद्देनज़र तिमाही आधार पर संभाव्य एनपीए से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं। बैंक पहले ही ये आंकड़े संकलित करते हैं जिनका प्रयोग उच्च प्रबंधतंत्र परिसंपत्ति संबंधी संभावित समस्याओं से निपटने के लिए प्रभावशाली ढंग से कर सकता है। तथापि, परिसंपत्तियों की विशेष उल्लिखित श्रेणी का प्रारंभ न केवल खाते की अतिदेय स्थिति पर करना ऐसे अन्य तथ्यों के आधार पर भी होगा जिनसे खाते की रुग्णता/अनियमितता का पता चलता हो। ऐसे कुछ बैंक जिनके यहां पहले से ही विशेष उल्लिखित श्रेणी है (चाहे कोई भी नाम दिया गया है) उन्हें आंतरिक मानदंडों के आधार पर बनाये रख सकते हैं।

विशेष उल्लिखित खाते में संक्षेप में मुख्यत: निम्नलिखित बातें होंगी -

- परिसंपत्ति में ऐसी संभावित कमज़ोरियां हैं जिन्हें सूक्ष्म प्रबंधन की आवश्यकता है और जिन्हें समय पर की गयी निवारक कार्रवाई से दूर किया जा सकता है।
- यदि इनमें सुधार न किया गया तो विशेष उल्लिखित परिसंपत्तियों की संभावित कमज़ोरियों से चुकौती की संभावनाएं कम हो सकती हैं और बाद में परिसंपत्ति वर्गीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- अक्सर किसी बैंक का कोई कमज़ोर अस्तित्व/सेवा नीतियां ही विशेष उल्लिखित श्रेणी के तहत किसी परिसंपत्ति के वर्गीकरण का कारण होती हैं हालांकि ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां इसके लिए तकनीकी अथवा अन्य कोई कारण भी उत्तरदायी हों।
- लगातार अनियमितताओं के अतिरिक्त विशेष उल्लिखित खातों में अपर्याप्त नकदी प्रवाह तथा प्रबंधन की ईमानदारी जैसी कारणों के आधार पर भी वर्गीकृत किये जा सकते हैं।
- विशेष उल्लिखित परिसंपत्तियों को पूर्वोपाय की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है और न ही इन्हें तत्काल विनियामक पर्यवेक्षण और विवेकपूर्ण सूचना पद्धति के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक, आय निर्धारण तथा परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड के एक भाग के रूप में विशेष उल्लिखित श्रेणी को शामिल किये जाने के संबंध में यथासमय विचार करेगा।

वास्तविक उद्देश्य से आये उधारकर्ताओं की पहचान

प्रवर्तक की ईमानदारी तथा यथास्थिति प्राप्त करने की क्षमता के आधार पर बैंक यथाशीघ्र यह निर्णय करें कि अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराना उचित होगा अथवा नहीं। इस संबंध में बैंक सभी वित्तीय लेनदेनों/कारोबारी लेनदेनों, लेखा-बहियों की विशेष अन्वेषण लेखा-परीक्षा किये जाने पर विचार कर सकते हैं, ताकि उधारकर्ता के इकाई की रुग्णावस्था के लिए उत्तरदायी होनेवाले सही घटकों का पता लगाया जा सके। उधारकर्ताओं के परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक सक्षमता निश्चित करने के लिए बैंक, विशेषज्ञता प्राप्त तकनीकी विशेषज्ञों का पैनल तथा उधारकर्ताओं के ट्रैक रिकार्ड रख सकते हैं।

निधि प्रवाहों के अस्थायी बेमेल या अतिरिक्त निधियों की आकस्मिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होनेवाली उधारकर्ताओं की वास्तविक समस्याएं शाखा स्तर पर निपटायी जा सकती हैं तथा इसके लिए आकस्मिक व्यय पूरे करने हेतु मंजूरी प्रक्रिया में ही विशेष सीमा की निर्मिति आवश्यक है। इससे सुपात्र मामलों में नियंत्रक कार्यालयों के मार्फत अतिरिक्त निधीयन के लिए अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा बहुत से खाते एनपीए श्रेणी में जाने पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी।

समय की पाबंदी तथा उत्तर देने में तत्परता

उत्तर देने में जितना अधिक विलंब होगा (अर्थात् कभी कभी शाखा पदाधिकारियों को स्वयं प्रेरणा से कार्रवाई करनी होती है) उतनी ही खाते तथा परिसंपत्ति की हानि हो सकती है। पुनर्गठन/पुनर्वसन नीति में समय एक निर्णायक घटक होता है। साथ ही पुनर्गठन प्रयोग में तकनीकी आर्थिक अध्ययन के आधार निर्मित प्रतिक्रिया तथा प्रवर्तक की वचनबद्धता अतिरिक्त निधीयन, रियायतों आदि के विस्तार के अनुसार पर्याप्त होनी चाहिए। सहायता का पैकेज लचीला हो सकता है तथा जहां आवश्यक हों बैंक उसे नकार भी देने के लिए सोच सकता है।

नकदी प्रवाहों पर ध्यान देना

पुनर्गठन के समय वित्त प्रदान करने के लिए हो सकता है कि बैंकों को केवल परंपरागत निधि प्रवाह विश्लेषण, जो कि संभाव्यत: गलत चित्र प्रस्तुत कर सकता है, के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो सकेगा। नयी ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन केवल निधि प्रवाहों के आधार पर किये जाने की अपेक्षा नकदी प्रवाहों के सहयोग से निधि प्रवाहों के विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है।

प्रबंधन का प्रभावशाली होना

कारोबार को विपरीत परिस्थितियों में काबू में रखना यह प्रबंधन के प्रभावशाली होने का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, जो उधारकर्ता की इकाई का भविष्य प्रभावित कर सकता है। बीमार इकाई को बैंक द्वारा वित्त दिये जाने का वचन उद्यम की बुनियादी क्षमता की प्रबंधन की गुणवत्ता के संदर्भ परीक्षा तथा पुष्टि करने के बाद ही दिया जाना चाहिए जहां गंभीर बीमारी के कारण चूक उत्पन्न हुई है, वहां क्षमता अध्ययन या अन्वेषक लेखा-परीक्षा की जानी चाहिए।

संघीय/बहुविध वित्तपोषण

(क) क्षमता का मूल्यांकन तथा पुनर्गठन के प्रयोग के दौरान सभी उधारदाता बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा हठवादी तथा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना तथा उधारकर्ता से संबंधित सभी सूचना का आदान-प्रदान करना पुन: स्थापना के प्रयास की समग्र सफलता में सहायक हो सकता है।

(ख) कुछ चूक मामलों में, जहां इकाई का कार्य चल रहा है, वहां बैंक यह सुनिश्चित करें कि नकदी प्रवाहों पर नज़र रखी जानी है (कुछ उधारकर्ताओं की प्रवृत्ति होती है कि एक बार चूक करने पर वे अपने नकदी प्रवाह ज़ब्त हो जाने के भय से बैंकर बदल देते हैं) तथा यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे नकदी प्रवाह कार्यशील पूंजी हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। इसके बारे में संघ के सदस्यों के बीच सूचना का नियमित आदान-प्रदान होता रहना चाहिए। ऐसे बैंक, जो संघ का हिस्सा नहीं है, उन्हें ऐसे चूककर्ता ग्राहकों को ऋण सुविधाएं देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे ग्राहकों को संघ के सदस्य न होनेवाले बैंक में चालू खाते की सुविधाएं भी नहीं दी जानी चाहिए और इसके उल्लंघन के लिए दण्डात्मक कार्रवाई हो सकेगी। चूककर्ता उधारकर्ताओं पर महत्त्वपूर्ण सूचना का आदान-प्रदान करने हेतु भारत ऋण सूचना ब्यूरो लिमिटेड (सीआइबीआईएल) पूरी तरह से कार्यरत होने पर बहुत ही उपयुक्त रहेगा

(ग) उधारदाताओं के फोरम में, प्रत्येक उधारदाता की प्राथमिकता अलग-अलग हो सकती है। जहां उधारदाताओं का एक समूह अपनी देयताओं की वसूली

के लिए लंबी अवधि तक रुकने के लिए इच्छुक होगा, वहीं अन्य उधारदाता के मन में काफी कम समय देने की इच्छा होगी। यह संभव है कि बाद की श्रेणी के उधारदाताओं की कुछ लागत पर भी अर्थात् ऋण आदि जोखिम का बट्टा काटकर समझौता करके बाहर निकलने की इच्छा हो। अत: पुनर्गठन/पुन:स्थापना की योजना के लिए यह पहलू भी ध्यान में लिया जा सकता है।

(घ) बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के पास के बीस करोड़ रुपये और उससे अधिक के कंपनी ऋणों का स्वैच्छिक आधार पर तथा कानूनी ढांचे से पूरे पुनर्गठन किये जाने के लिए समयोचित तथा पारदर्शी प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु कंपनी ऋण पुनर्गठन तंत्र को 2001 में संस्था का रूप दिया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत बड़े मानक खातों (संभाव्य एनपीए) तथा जीवनक्षम अवमानक खातों का संघीय/बहुविध बैंकिंग व्यवस्थाओं के पास पुनर्गठन करके बैंकों को काफी लाभ हो सकता है।

कानूनी एवं संबंधित मामले

जब बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऐसा विश्वास हो जाता है या वे इस निर्णय पर आती हैं कि पुन:स्थापन संभव नहीं है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, तो कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर सकते हैं। इससे उधारकर्ताओं पर दबाव आयेगा तथा प्रतिभूति का मूल्यह्रास होने की संभावना कम हो जायेगी। इस संदर्भ में नये प्रतिभूति अध्यादेश से पूर्व में उल्लेख किये अनुसार बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की देयताओं की तुरंत चुकौती की संस्कृति विकसित होने में सहायता मिल सकेगी। इस अध्यादेश के अंतर्गत बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को न्यायालयों/ट्रिब्यूनलों को हस्तक्षेप के बिना प्रतिभूतियों के प्रवर्तन के लिए पर्याप्त अधिकार प्रदान किये गये हैं। उसी प्रकार चूक करनेवाले उधारकर्ताओं के कारोबार के प्रबंध का प्रभार लिए जाने हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अधिकार दिये गये हैं।

जहां बैंक के ऋण निर्णय पर अनुचित प्रभाव डालने वाली गलत सूचना प्रस्तुत की गई है वहां बैंक दीवानी दावे के साथ आपराधिक कार्यवाही चलाने के लिए भी सोच सकते हैं। साथ ही मूल्यरहित गारंटियों और असमान (डायवर्जन) निधियों के मामले में भी बैंक आपराधिक कार्यवाही चलाने के लिए सोच सकते है। यदि ब्यौरे सही नहीं पाये जाते हैं तो उधारकर्ताओं को अपनी उधारियों, परिसंपत्तियों तथा अन्य सभी महत्त्वपूर्ण तथ्यों, जो भविष्य में आपराधिक कार्रवाई का आधार बन सकते हैं, को शपथ पर घोषित किये जाने के लिए कहा जा सकता है।

नये जीवन दान/पुन:स्थापना की योजना पर विचार करते समय उधारदाता स्वामित्त्व/प्रबंधन पर अपना नियंत्रण रखने का अधिकार बनाये रखे। इसे इस रूप में किया जा सकता है कि प्रोमोटर की शेयरधारिता को उधारदाताओं के पक्ष में इस रूप में गिरवी रखा जाये कि यदि कोई वचन/निर्धारण पूरे नहीं किये गये तो उसका स्वामित्व बदलने का हक उधारदाता के पास रहेगा।

लेखा-परीक्षक का उत्तरदायित्त्व

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उधारकर्ताओं की ओर से खातों का कोई किसी भी मिथ्याकरण किये जाने के मामले में यदि यह पाया जाता है कि लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षा करने में लापरवाह अथवा अक्षम हो ताकि आइसीएआइ इस मामले की जांच कर सके तथा लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर सके। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआई) के पास उधारकर्ताओं के लेखा-परीक्षकों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करें।

निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी करने के उद्देश्य से यदि उधारदाता, उधारकर्ताओं द्वारा निधियों के डायवर्जन/साइफनिंग के बारे में उधारकर्ताओं के लेखा-परीक्षकों से स्पष्टीकरण चाहते हैं तो उधारदाता इस प्रयोजन के लिए लेखा-परीक्षक को अलग से आदेश जारी करें। लेखा-परीक्षकों द्वारा ऐसे प्रमाणन की सुविधा प्राप्त करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऋण करारों में ऐसा प्रतिज्ञा पत्र शामिल किया जाता है ना कि उधारदाता द्वारा उधारकर्ताओं/लेखा-परीक्षकों को इस प्रकार के आदेश जारी कर सके।

सरकारी राहत

खातों के संबंध में राज्य सरकार से राहत (राज्य कर की माफी, आर्थिक सहायता आदि) प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है जिसे अतिदेयता की स्थिति और भी खराब हो जाती है। अत: इस दिशा में कार्य करना बहुत ही आवश्यक है ताकि सूक्ष्म निगरानी द्वारा समय सीमा को घटाया/कम किया जा सके।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

अगस्त 2001 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को बैंकों के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की ओर अग्रसर से संबंधित परिचर्चा पेपर भेजा था जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि वे निम्नलिखित के संबंध में विशिष्ट कदम उठाएं (क) जोखिम प्रबंधन स्थापत्य (आर्कीटेक्चर) स्थापित करना (ख) जोखिम को फोकस करने वाली आंतरिक लेखा-परीक्षा को अपनाना (ग) प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थन को मज़बूत बनाना (घ) मानव संसाधन विकास विषयों का समाधान और (ङ) विनियामक और पर्यवेक्षी अनुपालन की निगरानी के लिए अनुपालन इकाइयां स्थापित करना। बैंकों को, इन पांच क्षेत्रों में तैयारी की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए आंतरिक प्रबंधन-दल में परिवर्तन करना था।

बैंकों द्वारा, आरबीएस से संबंधित प्रगति की हाल ही में की गयी समीक्षा से पता चला है कि उन्हें अभी भी (क) जोखिम प्रबंधन तथा (ख) आरबीएस के संबंध में कार्रवाई करने के लिए प्रभावशाली संस्थागत तंत्र बनाने की आवश्यकता है। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे निम्नानुसार कार्रवाई करें:

(i) बैंकों को 7 अक्तूबर 1999 के परिपत्र द्वारा परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली सहित व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने के लिए सूचित किया गया है। कुछ बैंकों ने जोखिम प्रबंधन संबंधी कार्यों को करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग बनाया है। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि उनके पास संगठनात्मक संरचना के रूप में एक ऐसा संस्थागत तंत्र हो जो केवल जोखिम प्रबंधन संबंधी कार्यों को व्यापार संबंधी कार्यों से अलग करने के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिये।

(ii) बैंकों को चाहिए कि वे जोखिम आधारित पर्यवेक्षण पर चर्चा पेपर में दर्शाए गए कार्रवाई योग्य मुद्दों के कार्यान्वयन की प्रगति को निर्देशित करने और उनकी निगरानी करने के लिए भी एक संस्थागत तंत्र स्थापित करें। एक उपयुक्त वरिष्ठ पद का अधिकारी इस संस्थागत तंत्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य करे क्योंकि आवश्यक परिवर्तन करने के लिए सर्वोच्च प्रबंधन-प्रतिबद्धताएं आवश्यक हैं। आरबीएस की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए स्थापित संस्थागत-तंत्र को जोखिम प्रबंधन कार्य देखने वाले संस्थागत-तंत्र से अलग और भिन्न रखा जाना चाहिए।

(iii) जोखिम प्रबंधन तथा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण अपेक्षाओं के दोनों भिन्न कार्यों को करने में संस्थागत-तंत्र के प्रभाव तथा उसमें दिखनेवाली प्रगति की तिमाही अंतराल पर समीक्षा की जानी चाहिए और तिमाही समीक्षा रिपोर्ट निदेशक-बोर्ड के समक्ष रखी जानी चाहिए। आरबीएस से संबंधित कार्रवाई योग्य मुद्दों की प्रगति पर समीक्षा रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन प्रणालियों पर प्रगति रिपोर्ट, जो अब तिमाही अंतराल पर भेजी जा रही है, के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजी जानी चाहिए।

(iv) बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे जोखिम प्रबंधन तथा आरबीएस संबंधी कार्यों को करने के लिए कुशल और प्रशिक्षित कार्मिकों की सूची बनायें। बैंक कृपया यह सुनिश्चित करें कि जोखिम प्रबंधन, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण तथा जोखिम पर फोकस करनेवाली आंतरिक लेखा-परीक्षा में प्रशिक्षित व्यक्तियों को उपयुक्त स्थानों पर रखा जाता है। बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे पदाधिकारियों के प्रशिक्षण तथा उनके पद स्थापन के संबंध में रिकार्ड बनाएं।

शाखा बैंकिंग

लघु उद्योग संबंधी ऋण आवेदनों पर कार्रवाई के लिए समय अनुसूची

बेहतर ग्राहक सेवा देने हेतु और सभी श्रेणी के लघु उद्योग उधारकर्ताओं के पांच लाख रुपये तक के ऋण आवेदन पत्रों पर शीघ्र कार्रवाई हो इस उद्देश्य के लिए रिज़र्व बैंक ने ऋण आवेदनों पर कार्रवाई के लिए समय अनुसूची संशोधित की है। यदि प्राप्त आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हों और उनके साथ विधिवत चेक लिस्ट संलग्न हो तो बैंकों को चाहिए कि वे उन्हें निम्नलिखित समय सीमा के भीतर निपटायें:

(क) 25,000 रुपये तक के ऋणों के संबंध में दो सप्ताह के भीतर।

(ख) 5 लाख रुपये तक के ऋणों के संबंध में चार सप्ताह के भीतर।

बैंक शाखाओं को सूचित किया गया है कि ऐसे सभी ऋण आवेदन जो सभी प्रकार से पूर्ण हों और जिनके साथ चेक लिस्ट संलग्न है, की पावती उसी तारीख को, अर्थात् उनके द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख को दी जाए।

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2002
29 अक्तूबर तथा 30 अक्तूबर 2002 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

इससे पूर्व 25,000 रुपये तक की ऋण सीमा वाले आवेदन पत्र एक पखवाड़े के भीतर और 25,000 रुपये से अधिक की ऋण सीमा वाले आवेदन पत्र 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटाये जाने होते थे।

विदेशी बैंक शाखाएं बंद करना

भारत में कार्यरत सभी विदेशी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे महानगरीय क्षेत्रों में स्थित शाखाओं सहित अपनी किसी शाखा को बंद करने के अपने इरादे के बारे में रिज़र्व बैंक को अनिवार्यत: पर्याप्त समय पहले बतायें। साथ ही उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि शाखाएं बंद करने की अपनी विस्तृत योजना भी प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो कि उनके ग्राहकों के हित और सुविधा का पर्याप्त रूप से ध्यान रखा जाता है।

यह देखा गया था कि विदेशी बैंक अपनी शाखाएं बंद करने के संबंध में अपने जमाकर्ताओं, उधारकर्ताओं और अन्य ग्राहकों को पर्याप्त समय पहले सूचना दिये बिना शाखाएं बंद कर देते हैं, जिससे सभी संबंधितों को असुविधा होती है, जिससे बचा जा सकता है।

सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक मुद्रा हस्तांतरण सेवा योजनाओं में एजेंट के रूप में काम नहीं करेंगे

रिज़र्व बैंक ने सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वे मुद्रा हस्तांतरण सेवा योजनाओं में एजेंट/उप एजेंट के रूप में काम न करें। जो शहरी सहकारी बैंक पहले से ही इस तरह की योजनाओं में एजेंट/उप एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें सूचित किया गया है कि वे अपने आप को तत्काल इस तरह की गतिविधियों से अलग कर लें।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

एफसीएनआर (बी) जमाराशियां

विदेशी मुद्रा ऋण

प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात की अनुमति दी गयी है कि वे नीचे दिये गये दिशा निर्देशों के अधीन एफसीएनआर (बी) जमा खातों में जमा निधियों को जमानत रखकर खाता धारकों को विदेशी मुद्रा में ऋण दे सकते हैं:

(क) ऋण एफसीएनआर (बी) खाते में जमा अपनी रकम में से दिया जाना चाहिए न कि किसी अन्य पक्ष की जमा राशि में से।

(ख) ऋण केवल जमा धारकों को ही दिया जाना चाहिए न कि किसी अन्य पक्ष को। प्रलेखों का निष्पादन स्वयं जमा धारक द्वारा किया जाना चाहिए न कि किसी मुख्तारनामा धारक व्यक्ति द्वारा।

(ग) ऋण की परिपक्वता अवधि किसी भी हालत में जमा की परिपक्वता अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(घ) खाता धारक को ऋण भारत में निवेश के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए दिया जाना चाहिए।

(ङ) ऋण जमा द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित होना चाहिए और मार्जिन से संबंधित विनियम, यदि कोई हो, तो उसका अनुपालन किया जाना चाहिए।

(च) चुकौती विदेशी मुद्रा में प्राप्त नए प्रेषणों में से अथवा जमा के समायोजन द्वारा की जाए।

(छ) बैंक इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त अनुप्रवर्तन प्रणाली लागू करें।

(ज) इस सुविधा के विस्तार का अनुमोदन बैंक के बोर्ड द्वारा होना चाहिए।

आगे यह भी कि अनिवासी जमा रकम के बदले ऋण देने हेतु प्राधिकृत व्यापारियों को रिज़र्व बैंक द्वारा 21 मई 2002 को जारी परिपत्र के अनुदेशों के अनुपालन के साथ-साथ अनिवासी जमा राशियों के बदले ऋण देते समय बैंकों को सावधानी बरतनी होगी।

ब्याज दरें

रिज़र्व बैंक ने 29 अप्रैल 2002 को बैंकों को सूचित किया था कि वे 1-3 वर्ष की मीयाद वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) (एफसीएनआर) (बी) जमाराशियों के लिए संबंधित मुद्रा/समनुरूपी मीयाद के लिए लिबोर/स्वैप्स दर मायनस 25 आधार पाइंट की अधिकतम दर के भीतर स्थिर तथा चल दरें का प्रस्ताव करें। बैंकों द्वारा येन जमाराशियों पर लिबोर मायनस 25 आधार पाइंट पर ब्याज वसूलने में होने वाली कठिनाइयों के संदर्भ में समीक्षा करने के बाद रिज़र्व बैंक ने अब बैंकों को यह स्वतंत्रता दे दी है कि वे येन जमाराशियों के संदर्भ में लिबोर के बराबर अथवा कम पर एफसीएनआर (बी) जमाराशि दरें तय कर सकते हैं।

आयातों के लिए अल्पावधि ऋण

भारत में आयात की प्रक्रिया को सरल बनाने के विचार से रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि अल्पावधि ऋण अर्थात्, आपूर्तिकार के उधार और क्रेता के साख उधार, दोनों श्रेणियों के ऋणों के लिए एकसमान विनियमावली तथा क्रियाविधियों को, अगली सूचना तक तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए।

तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी या तो आपूर्तिकार के साख उधार अथवा क्रेता के साख उधार के माध्यम से भारत में आयात के वित्त पोषण का प्रस्ताव फ़ार्म ईसीबी में प्राप्त होता है तो उसका अनुमोदन कर सकते हैं बशर्ते :

(क) उधार तीन वर्ष की अवधि से कम अवधि के लिए दिया जा रहा हो।

(ख) उधार की रकम प्रति आयात लेनदेन 20 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक न हो।

(ग) प्रति वर्ष ऋण के लिए देय समग्र लागत, लिबोर + 50 आधार प्वॉइंट 1साल तक के लिए और एक साल से अधिक और 3 साल से कम की अवधि के लिए लिबोर + 125 आधार प्वॉइंट, ऋण चालू रहने की अवधि के लिए।

प्राधिकृत व्यापारी महीने के दौरान अपनी सभी शाखाओं द्वारा दिए गए अनुमोदनों का विवरण मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) प्रभाग, मुंबई - 400001 को इस प्रकार भेजा करें कि वह अगले महीने की 5 तारीख तक अवश्य मिल जाये। प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा प्रत्येक ऋण को अनन्य पहचान संख्या दी जाए। उस आबंटित पहचान संख्या का इस कार्यालय के साथ भविष्य में किए जाने वाले समस्त पत्राचार में उल्लेख किया जाए। 20 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की रकम वाले किसी भी आयात संबंधी लेनदेन के सभी अल्पावधि ऋण लिए जाने से संबंधित आवेदन फॉर्म ईसीबी में रिज़र्व बैंक को अग्रेषित किए जाएं।

इससे पूर्व, आपूर्तिकार का ऋण, अर्थात्, अल्पावधि ऋण जहां पर कि भारत में आयात के लिए समुद्रपारीय आपूर्तिकार द्वारा 6 महीने से अधिक अवधि के लिए उधार सुविधा दी जाती है वहां रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक था। उसी प्रकार क्रेता की साख उधार अर्थात्, जहां भारत में आयात मूल्य की चुकौती के लिए 3 साल से कम अवधि की परिपक्वता वाले अल्पावधि ऋण आयातक भारत से बाहर से बैंक अथवा वित्तीय संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं वहां भी रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक था।

रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज दरों में कटौती की वैधता 30 अप्रैल 2003 तक बढ़ायी गयी है।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रुपया निर्यात ऋण पर लगायी गयी ब्याज दरों की सीमाएं 26 सितंबर 2001 से 31 मार्च 2002 तक सभी स्तरों पर एक प्रतिशत पॉइन्ट से कम की गयी थीं। यह कटौती पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर दोनों ऋणों के लिए लागू थी। उसके बाद यह रियायत 30 सितंबर 2002 तक बढ़ायी गयी थी।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **प्रिंटराइट,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र। ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन प्रभाग (बिक्री अनुभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इटरनेट www.cir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।**